In the Court of District & Additional Sessions Judge-1st,

SC/ST Case No. - 135/2024

20.06.2025 संज्ञान के बिन्दु पर अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से प्रतीत होता है कि अनुसंधानकर्ता द्वारा आरोप पत्र संख्या–29/2024, दिनांक 30.09.2024 मे अभियुक्त संदीप कुमार को अनुत्प्रेषित दिखाते हुए शेष प्राथमिकी नामजद अभियुक्तगण 1. मेघन कुमार उर्फ पंकज कुमार, 2. सौरभ कुमार उर्फ कैला, 3. उदय कुमार, 4. राहुल कुमार उर्फ मिका, 5. विधि विरूद्ध बालक निखिल कुमार के विरूद्ध धारा –147, 149, 341, 323, 337, 504, 34 भा० द० वि० एवं धारा 3 (1) (r) (s) & 3 (2) (va) SC/ST Act के अंतर्गत आरोप पत्र समर्पित किया गया है।

अभिलेख के अवलोकन से प्रतीत होता है कि अभियुक्त संदीप कुमार के विरूद्ध अभिलेख पर पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं है तथा शेष प्राथमिकी नामजद अभियुक्तगण 1. मेघन कुमार उर्फ पंकज कुमार, 2. सौरभ कुमार उर्फ कैला, 3. उदय कुमार, 4. राहुल कुमार उर्फ मिका, 5. विधि विरूद्ध बालक निखिल कुमार के विरूद्ध धारा –147, 149, 341, 323, 337, 504, 34 भा० द० वि० एवं धारा 3 (1) (r) (s) & 3 (2) (va) SC/ST Act के अंतर्गत प्रथम दृष्ट्या मामला बनता है।

अतः ऐसी स्थिति में आरोप पत्र के कंडिका–11 में वर्णित अभियुक्तगण 1. मेघन कुमार उर्फ पंकज कुमार, 2. सौरभ कुमार उर्फ कैला, 3. उदय कुमार, 4. राहुल कुमार उर्फ मिका, 5. विधि विरूद्ध बालक निखिल कुमार के विरूद्ध धारा –147, 149, 341, 323, 337, 504, 34 भा० द० वि० एवं धारा 3 (1) (r) (s) & 3 (2) (va) SC/ST Act के अंतर्गत संज्ञान लिया जाता है।

कार्यालय लिपिक द्वारा विधि विरूद्ध बालक निखिल कुमार का अभिलेख दिनांक–27.05.2024 को पृथक कर जे० जे० बी० बोर्ड शेखपुरा भेजा जा चुका है। शेष चार अभियुक्तो का वाद इस न्यायालय में विचारणीय है।

कार्यालय लिपिक अभियुक्तो की उपस्थिति हेतु सम्मन निर्गत करें। वाद दिनांक 30-07-25 वास्ते उपस्थिति।

लेखापित

D.A.S.J. - 1st